

कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारिक शिक्षा अजमेर

— काशीबाद - अजमेर —

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-डी) विभाग शासन नविवार, अजमेर को डाक पत्रांक(निर्देश) क्रमांक प.9(2) शिक्षा-5/2005/फार्म अधिनियम 21.10.2010 एवं निर्देशन, भा.जो.क. 21.07.2010 राजस्थान, बीकानेर के निर्देश क्रमांक-शिवपुर/प्रा.सं/शैक्षिक/सी/19626/10-11/ दिनांक 21.07.2010 की अनुपालना में वर्णित निर्देशों के क्रम 1 से 11 तक में निर्दिष्ट शर्तों की पालना किए जाने से एवं निजीकरण दल की अनुशासन के आधार पर निम्न संस्था को राजस्थान सरकार के अंतर्गत शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शर्तों के तहत तयारी कर रहे हूँ यह 2010-11 से उच्च प्राथमिक स्तर पर कर्मोन्नति/मान्यता प्रदान की जावे :-

क्र.सं.	नाम संस्था	माध्यम	पता
1	बिरला इंटरनेशनल स्कूल	अंग्रेजी	82 k-m stone jaipur ajmer highway near kishanpura

मान्यता नियमों की पालना न करने के कारण संस्था अधिकारी द्वारा परीक्षण के समय निम्नलिखित स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

1. संस्था द्वारा संस्था-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई मान्यता निर्देशों की पालना करने हेतु एक विभाग द्वारा जारी गयी भूखाना निर्धारित नियमों तक परतुल्य करने योग्य।
2. प्राप्ति तीन वर्षों में संस्था अधिकारी के समय शिक्षा विभाग पर परीक्षा के दौरान लेनी।
3. संस्था द्वारा विभाग के निर्धारित कलैण्डर अनुसार ही शैक्षणिक कार्य का संचालन करने के लिए एवं निम्नलिखित पाठ्यक्रम अनुसार ही शिक्षण कार्य सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था राजस्व वार्षिक कक्षाओं की कर्मोन्नति करेगी। उपाधि प्राप्त पर उच्च-प्रतिभा प्रतिष्ठित कर्मियों की शिक्षण करेगी।

क्रमांक-निर्देश/प्रा.सं/अ.ज./मान्यता/2010/3813
प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं पालना :-

1. निर्देशक महोदय प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. उ.प. निर्देशक प्राथमिक शिक्षा अजमेर महोदय अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय अजमेर।
4. संबंधित संस्था अधिकारी/प्रबन्धक।
5. प्रभारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/सांख्यिकी/समाज कल्याण कार्यालय अजमेर।
6. निर्देशन पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्राथमिक शिक्षा अजमेर
दिनांक-30-8-2010

-381-
निदेशा शिक्षा अधिकारी
प्राथमिक शिक्षा अजमेर